पत्रांक 15/एम 1–93/2017– 1641

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर0के0 महाजन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

पटना, दिनांक 05/9/ 2017

विषयः कुँवर सिंह महाविद्यालय, आरा में कदाचारपूर्ण परीक्षा आयोजन किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन संचालित कुँवर सिंह महाविद्यालय, आरा में आयोजित स्नातक पार्ट II की परीक्षा में बृहत पैमाने पर कदाचार एवं धांधली को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में उद्धृत किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों में भूमि पर बैठकर परीक्षा लेने, परीक्षार्थियों द्वारा खुलेआम नकल करने, किताब एवं मोबाईल के माध्यम से कदाचार करने आदि का उल्लेख किया गया है। समाचार पत्रों में वीक्षक, केन्द्राधीक्षक, विश्वविद्यालय के उडनदस्ता दल आदि के कर्तव्यनिष्ठा पर भी गंभीर प्रश्न उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। यह अत्यंत आपतिजनक एवं राज्य सरकार के कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन की नीति के प्रतिकूल है। अतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर अविलम्ब कार्रवाई करें:–

1. संदर्भित परीक्षा एवं संबंधित महाविद्यालय का संबंद्धन रद्द करने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. परीक्षा संचालन से जुडे हुए महाविद्यालय प्रधानाचार्य/केन्द्राधीक्षक/शिक्षकों एवं कर्मियों पर परीक्षा में कदाचार कराने के आरोप में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।

3. इस महाविद्यालय के संबंद्धन निरस्त किए जाने से प्रभावित छात्रों को नजदीकी महाविद्यालयों में सामंजित किया जाए।

उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर कृत कार्रवाई से एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

5/9/17

(आर0के0 महाजन)
प्रधान सचिव

Hindi letter 2017